भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / N O T I C E

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की **65वीं** वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 16 सितंबर, 2019 को अपराह्न 03:30 बजे दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमारा कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु– 560 001 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी –

सामान्य कारोबार–

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु

(क) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन ।

(ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 1.70 (170%) प्रति ईक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान की संपुष्टि करना तथा ₹ 1 प्रत्येक के प्रति ईक्विटी शेयर ₹ 1.70 (170%) के अंतिम लाभांश घोषणा करना ।

3. **श्री नटराज कृष्णप्पा** (डीआईएन–07506012) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना ।

विशेष कारोबार –

4. श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन–08281078) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

‘‘**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में, श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन–08281078), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी–ई0032/1/2018–(बीईएल) दिनांक 27 नवंबर 2018 द्वारा भारत

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the **65th** Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Monday, 16 September 2019, at 03:30 p.m. at the Kalinga Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru – 560 001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2019 and the reports of the Board of Directors and Auditors thereon.

b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2019 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend ₹ 1.70 (170%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.70 (170%) per equity share of ₹ 1 each for the financial year 2018-19.

3. To appoint a Director in place of **Mr Nataraj Krishnappa** (DIN: 07506012), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. Appointment of Mr Vinay Kumar Katyal (DIN: 08281078) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Vinay Kumar Katyal (DIN: 08281078), who was appointed as Director (Bangalore Complex) by the Govt. of India vide Ministry

सरकार द्वारा निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने हेतु दिनांक 27 नवंबर 2018 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 27 नवंबर 2018 से प्रभावी करते हुए निदेशक मंडल द्वारा निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें उन्होंने श्री विनय कुमार कत्याल को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करना के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे"।

5. **श्री शिवकुमारन के एम (डीआईएन-08473589) की निदेशक के रूप में नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में, **श्री शिवकुमारन के एम (डीआईएन-08473589)**, जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी–ई0032/3/2018-डी(बीईएल) दिनांक 11 जून 2019 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 11 जून 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (मानव संसाधन) पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें उन्होंने श्री शिवकुमारन के एम को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करना के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे"।

6. **श्री सुनील कुमार कोहली (डीआईएन-05321549) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में, **श्री सुनील**

of Defence letter no. DDP-E0032/1/2018-(BEL) dated 27 November 2018 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Bangalore Complex) by the Board of Directors w.e.f 27 November 2018 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Vinay Kumar Katyal as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

5. **Appointment of Mr Shivakumaran K M (DIN: 08473589) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), **Mr Shivakumaran K M (DIN: 08473589)**, who was appointed as Director (Human Resources) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2018-D(BEL) dated 11 June 2019 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Human Resources) by the Board of Directors w.e.f 11 June 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Shivakumaran K M as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

6. **Appointment of Mr Sunil Kumar Kohli (DIN: 05321549) as Independent Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force),

कुमार कोहली (डीआईएन – 05321549), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/3/2015–डी(बीईएल) दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री सुनील कुमार कोहली" को कंपनी के निदेशक के अभ्यर्थी के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"।

7. **लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन जो वर्तमान में लागू है सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त **मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स**, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 350,000 (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) के पारिश्रमिक तथा लागू कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है" ।

8. **संस्था के बहिर्नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"**संकल्प किया गया** कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो तो, तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुन:प्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों (एम.ओ.ए.) के खंड III में मुख्य उद्देश्य सं. 01 को कंपनी के एम.ओ.ए. के खंड सं. III के तहत क्र.सं. (जे) से क्र.सं. (एम) तक के निम्नलिखित अनुच्छेदों को शामिल करते हुए परिवर्तित किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है –

j. भारत या अन्यत्र, विनिर्माण, असेंबलिंग, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात का कारोबार करना तथा प्रोसेसर, फेब्रिकेटर, मर्चेंट, कन्वर्टर, डीलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, वितरक और पूर्तिकर्ताओं जो अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं प्रणालियाँ, संबंधित सेवाएँ, विस्फोटक

Mr Sunil Kumar Kohli (DIN: 05321549), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/3/2015-D(BEL) dated 18 July 2019 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 18 July 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Sunil Kumar Kohli as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

7. **Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made there under, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus applicable taxes and reimbursement of out of pocket expenses to **M/s GNV & Associates**, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2020."

8. **Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company.**

To consider, and if thought fit, to pass with or without modification (s) the following resolution as **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, and Rules made there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to approval of Administrative Ministry, main object no. 01 in Clause III of the Memorandum of Association (MoA) of the Company be and is hereby altered by adding the following paragraphs as Sl. No. (j) to Sl. No. (m) under the Clause No. III- 1 of MoA of the Company:

j. To carry on the business, in India or elsewhere, of manufacturing, assembling, buying, selling, importing, exporting, and to act as processors, fabricators, merchants, convertors, dealers, agents,

पदार्थों के साथ या उनके बिना शस्त्र प्रणालियाँ, गोला-बारूद तथा संबंधित उत्पाद, लेज़र आधारित उत्पाद एवं प्रणालियाँ, मानवयुक्त तथा मानव-रहित प्लेटफार्म और संबंधित प्रणालियाँ तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय संसूचना एवं संरक्षण प्रणालियों में लेनदेन करते हैं, के रूप में कार्य करना।

k. भारत या अन्यत्र, विनिर्माण, असेंबलिंग, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात का कारोबार करना तथा प्रोसेसर, फेब्रिकेटर, मर्चेंट, कन्वर्टर, डीलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, वितरक और पूर्तिकर्ताओं जो अन्यथा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शक्ति एवं ऊर्जा उत्पादों एवं प्रणालियों तथा लांचिग प्रणालियों, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आधारित प्रणालियों एवं उत्पादों, सेन्सरों एवं संबंधित उत्पादों में लेनदेन करते हैं, के रूप में कार्य करना।

l. डिज़ाइन, निर्माण, उत्पादन, निर्यात, आयात, क्रय, विक्रय, फेब्रिकेट, आविष्कार, अनुसंधान, विकास, विपणन, प्रक्रम, भंडारण, संस्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण, बदलाव, विनिमय, वितरण, भाड़ा, उपयोग, निपटान, फ्रेंचाइस या नियंत्रण एवं ऑटोमेशन इंजीनियरी मशीनरी, साफ्टवेयर, सामान और औजारों की फ्रेंचाइसी द्वारा कारोबार करना और साफ्टवेयर उत्पादों, संबंधित सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों, आई.टी. सक्षम सेवाओं, डेटा संसाधन, डेटा वेयरहाउसिंग और डेटाबेस प्रबंधन एवं प्रणालियों एवं सेवाओं में वितरक, पूर्तिकर्ता, स्टॉकिस्ट, एजेंट, मर्चेंट, डेवलपर, सलाहकार, जॉब कामगार, सहयोगकर्ता और डीलर के रूप में कार्य करना।

m. सिविल अवसंरचना सहित टर्नकी समाधन आधारित परियोजनाओं की परिकल्पना, योजना, सर्वेक्षण, डिज़ाइनिंग, मूल्यांकन, निर्माण, रचना, संस्थापना, स्थापना, उपक्रम, प्रचालन, प्रबंधन का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन, पट्टे पर लेने का कारोबार करना।

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा बातें जिसमें यथोचित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक फार्म / दस्तावेज भरना शामिल है, करने के लिए तथा ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र तथा लिखित सामग्री जिन्हें उनके एकमात्र तथा पूर्ण विवेक से आवश्यक या अत्यावश्यक समझा जाए, निष्पादित करने के लिए तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निराकरण करने के लिए तथा यहाँ प्रदत्त अपनी सभी या किसी एक शक्ति को अपने निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,

बेंगलूरु
7 अगस्त 2019

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

stockists, distributors and suppliers otherwise dealing with Electronic Products and Systems, allied services, Weapon Systems with or without Explosives, Ammunitions and related products, Laser based Products and Systems, Manned and unmanned Platforms and related Systems and Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Detection and Protection Systems.

k. To carry on the business in India or elsewhere, of and manufacturing, assembling, buying, selling, importing, exporting, and to act as processors, fabricators, merchants, convertors, dealers, agents, stockists, distributors and suppliers otherwise dealing with in Power and Energy Products & Systems through various sources, Space Electronics including Satellites and Launching Systems Electro Optics based Systems and products, Sensors and related products.

l. To carry on the business of design, manufacture, produce, export, import, buy, sell, fabricate, discover, research, develop, marketing, process, store, install, repair, maintain, recondition, exchange, distribute, hire, use, disposal, fabricate, franchise or through franchise of control and automation engineering machineries, software, things and tools and to act as distributors, suppliers, stockiest, agents, merchants, developers, consultants, job workers, collaborators and dealers in software products, allied services and Information Technology Products, IT enabled services, data processing, data warehousing and database management and Systems & Services.

m. To carry on the business of conceiving, planning, surveying, designing, studying, evaluating, building, constructing, installing, erecting, undertaking, operating, owning, managing, controlling, and administering, leasing of Turnkey Solutions based projects including Civil Infrastructure.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/ documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
7 August 2019

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. **वार्षिक सामान्य बैठक में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।**

   कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, एक परोक्षी अधिकतम 50 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा उनके पास कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक पूंजी नहीं होनी चाहिए। एक सदस्य जिसे मताधिकार प्राप्त है और जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक पूंजी धारित करते हैं, परोक्षी के रूप में एकमात्र व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक का परोक्षी न हो।

   परोक्षी को नियुक्त करने का विलेख विधिवत भरकर बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, (14 सितंबर 2019, अपराह्न 03:30 बजे, आई.एस.टी. से पहले) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वार्षिक सामान्य बैठक का परोक्षी प्रारूप संलग्न है।

2. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें या ई-मतदान पोर्टल में अपलोड करें।

3. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 (1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 के तहत यथा अपेक्षित, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय भी इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।

4. इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 22 अगस्त 2019 से 24 अगस्त 2019 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा।

5. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 0.30, ₹ 0.70 और ₹ 0.70 प्रति इक्विटी शेयर के तीन अंतरिम लाभांशों की घोषणा की है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अदा किया गया। ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने लाभांश वारंटों / डीडी का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों / डीडी को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मई, 2019 को हुई अपनी बैठक में ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर प्रति ईक्विटी शेयर पर ₹ 1.70 (170%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष

NOTE

1. **A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the meeting instead of himself/herself, and the proxy need not be a member of the Company.**

   As per the provisions of the Companies Act, 2013, a person can act as a proxy on behalf of a maximum of 50 members and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy, provided that the person does not act as proxy for any other person or shareholder.

   The instrument appointing the proxy, duly completed, must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting (on or before 14 September 2019, 3:30 p.m. IST). A proxy form for the AGM is enclosed.

2. Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution to the Company or upload it on the e-voting portal, authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the meeting.

3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Brief resume of the Directors seeking appointment or re-appointment at Annual General Meeting (AGM), as required under Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also annexed and forms part of the Notice of this meeting.

4. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 22 August 2019 to 24 August 2019 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the AGM.

5. The Board of Directors has declared three interim dividends of ₹ 0.30, ₹ 0.70 & ₹ 0.70 per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid during the financial year 2018-19. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/DDs may approach Registrars and Transfer Agent of the Company for revalidating the expired warrants/DDs or for obtaining DDs in lieu of expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 29 May 2019, has recommended a final dividend of ₹ 1.70 (170%) per equity share of

2018–19 का अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 21 अगस्त 2019 को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियलीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोज़िटरियों द्वारा दिए गए विवरण अनुसार 21 अगस्त, 2019 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयर अंतरण, पारेषण, उप–विभाजन, शेयरों का समेकन, कालातीत लाभांश वारंट के विधिमान्यकरण या शेयरों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के अपने सभी प्रश्न/पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट, मे. इन्टीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, नं. 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु – 560003, टेली. 080–23460815/18 से करें। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते में परिवर्तन की सूचना शेयरों को डिमटीरियर रूप में धारित करने पर अपने डिपोज़िटरी सहभागी (डी.पी.) को और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को या कंपनी के आर.टी.ए. को अपना फोलियो नंबर बताते हुए तुरंत संपर्क करें।

7. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा 136 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 सहित अन्य दस्तावेज ई–मेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ई–मेल का पता दिया है जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी वास्तविक प्रति का अनुरोध किया हो । ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए वास्तिक प्रतियाँ अनुमत माध्यम से भेजी जा रही हैं। बहरहाल, यदि कोई सदस्य वार्षिक प्रतिवेदन की कागज़ी प्रति चाहते हैं, तो वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को या कंपनी के आरटीए को ई–मेल या डाक द्वारा लिखित अनुरोध भेज सकते हैं। कंपनी इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर भी उपलब्ध कराएगा।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखे गए निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता की पंजी तथा इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रात: 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।

9. शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उनके संबंधित डिपोज़िटरी खातों में दर्ज बैंक विवरण का इस्तेमाल किया जाएगा। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) की

₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2018-19, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 21 August 2019 in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on 21 August 2019 as per the details furnished by the depositories.

6. Members are requested to send all query/correspondence related to shares transfers, transmission, Sub-division, consolidation of shares, revalidation of expired dividend warrants or any other matter relating to share to the Company's RTA, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, No.30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, Tel. 080-23460815/18. Members are requested to notify immediately any change in their address to their Depository Participants (DPs) in respect of shares held in dematerialized form, and to the Company at its Registered Office or Company's RTA in respect of the shares held in physical form, if any, quoting their Folio Number.

7. In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act 2013 and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), this Notice of the AGM along with the Annual Report 2018-19 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members who have not registered their e-mail addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. However, if any member wants a physical copy of the Annual Report he/she may send a written request through e-mail or post, to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or to Company's RTA. The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.in.

8. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and all the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. Members are advised to submit

अनिवार्यताओं को पूरा करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से विप्रेषण कर सके। जो सदस्य शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करते हैं वे अपने डीपी से सीधे ही ईसीएस आज्ञापक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण विवरणों के साथ ईसीएस आज्ञापन फार्म कंपनी / आरटीए / डीपी को पहले ही दे चुके हैं, उन्हें इसे दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकारी (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 जिसे उसके संबंधित परिपत्रों एवं संशोधनों ('आई.ई.पी.एफ. नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, नियत तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अंतरिम लाभांश 2010-11, अंतिम लाभांश 2010-11 और अंतरिम लाभांश 2011-12 से संबंधित अदत्त और दावा न की गई राशि क्रमशः ₹ 58,722.00, ₹ 1,46,312.40 और ₹ 79,230.00 अंतरित कर दिया है।

वर्ष 2011-12 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2012-13 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2019-20 में आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 25 सितंबर, 2018 (पिछली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख) को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.bel-india.in) पर और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (http://www.iepf.gov.in) के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है । दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के साथ पत्राचार करें।

अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा आवश्यक, ऐसे इक्विटी शेयर जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है । अंतरित किए गए शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

11. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध कराई जा सके ।

12. सदस्यों/ परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ । बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

their Electronic Clearing System (ECS) mandates, to enable the Company to make remittance by means of ECS. Those holding shares in physical form may obtain and send ECS mandate form to RTA of the Company. Those holding shares in Electronic Form may obtain and send ECS mandate form directly to their DPs.

10. Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the due date is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), constituted by the Central Government. The Company had, accordingly, transferred ₹ 58,722.00, ₹ 1,46,312.40 and ₹ 79,230.00 being the unpaid and unclaimed dividend amount pertaining to Interim Dividend 2010-11, Final Dividend 2010-11 and Interim Dividend 2011-12 respectively, to the IEPF.

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2011-12 and interim dividend for the year 2012-13 are due for transfer to the IEPF in 2019-20. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 25 September 2018 (date of last Annual General Meeting) on the website of the Company (www.bel-india.in) and also on the website of the Ministry of Corporate Affairs (http://www.iepf.gov.in). Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's Registered Office.

As required under Section 124 of the Act, equity shares, in respect of which dividend has not been claimed by the members for seven consecutive years or more, have been transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) during the financial year. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company.

11. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.

12. Members / Proxies / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting. Members/Proxies/Authorised Representatives attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

13. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 दिनांक 8 जून, 2018 के तारतम्य में, कंपनी द्वारा वास्तविक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी प्रतिभूतियाँ डिपोज़िटरी द्वारा प्रतिभूतियों के पारेषण या रूपांतरण के मामले के सिवाय, डिमटीरियलीकृत रूप में धारित की जाती हैं। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वास्तविक धारण का डीमटीरिलीकरण करवा लें ।

14. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्येक प्रतिभागी दवारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपोज़टरी प्रतिभागी जिनके पास उनके डीमैट खाते हैं, को अपना पैन संख्या दें। वास्तविक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन विवरण कंपनी के आरटीए को दे सकते हैं।

15. वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूँजी एवं ऋणपत्र) नियम, 2014 में यथा वर्णित फार्म-एसएच 13 में किसी भी व्यक्ति को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए कंपनी में उनके शेयर फार्म में वर्णित घटना के घटित होने पर निहित होते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले व्यक्ति कंपनी के आरटीए को दो प्रतियों में फार्म-एसएच 13 भेज सकते हैं। शेयरों को डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करने पर, यह नामांकन संबंधित डीपी को देना होना।

16. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जिनका नाम, क्रम में ऊपर होगा, मतदान करने के हकदार होंगे ।

17. बैठक में शामिल होने में सदस्यों की सुविधा हेतु बैठक के स्थल का मार्ग संलग्न किया गया है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों तथा सेबी (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी ने अपने नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान) सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है । वार्षिक बैठक में सामान्य नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड द्वारा मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने म ताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे । ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे । ई-मतदान के अनुदेश इस बैठक की नोटिस के संलग्नक में दिए गए हैं ।

13. Members are informed that pursuant to SEBI (LODR) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 dated 8 June 2018, request for effecting transfer of securities in physical form shall not be processed by the Company unless the securities are held in dematerialized form with a Depository, except in case of transmission or transposition of securities. Hence the Members are requested to dematerialize their physical holding.

14. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN details to the Company's RTA.

15. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form-SH 13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. Persons holding shares in physical form may send Form-SH 13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.

16. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

17. Route Map to the venue of the meeting is annexed for the convenience of the members to attend the meeting.

18. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with corresponding Rules, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting (e-voting) service facilitated by the National Securities Depository Limited (NSDL). The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice of this meeting.

सुदूर ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 द्वारा स्थानापित किया गया है, और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी सोमवार, 16 सितंबर, 2019 को, अपराह्न 03.30 बजे आयोजित होने वाली 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक आहूत करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है । कंपनी ने सुदूर ई-म तदान सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं ।

सुदूर ई-मतदान सुविधा लिंक www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध है ।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें ।

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 16 सितंबर, 2019 को होने वाली 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग हैं।

सुदूर ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी –

सुदूर ई-मतदान का प्रारंभ	सुदूर ई-मतदान की समाप्ति
11 सितंबर 2019 को सुबह 9:00 बजे आई.एस.टी.	15 सितंबर 2019 को शाम 5:00 बजे आई.एस.टी.

सुदूर ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं –

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करना

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की तरीके में "दो चरण" शामिल है, जो निम्नलिखित हैं–

चरण 1– https://www.evoting.nsdl.com/ में एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली को लॉग-इन करें ।

चरण 2– एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका वोट डाल दे ।

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं –

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन करना

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या म ोबाइल पर निम्न URL: टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें–https://www.evoting.nsdl.com/ ।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक' सेक्शन के तहत उपलब्ध है ।
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड और एक वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 65th Annual General Meeting to be held on the Monday, 16 September 2019 at 03:30 p.m. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 65th Annual General Meeting to be held on 16 September 2019.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
11 September 2019 at 9:00 A.M. IST	15 September 2019 at 5:00 P.M. IST

The instructions for remote e-voting are as under:

Voting electronically using NSDL e-Voting system

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

Log-into NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

वैकल्पिक रूप से, यदि आपने एनएसडीएल ई-सेवा यानी आईडीईएएस के लिए रजिस्टर किया हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉग-इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद लॉग-इन होने के बाद ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं ।

4. आपके यूज़र आईडी विवरण नीचे दिए गए हैं-

शेयर धारित करने की विधि यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल)या वास्तविक रूप से	**आपका यूज़र आई.डी. है -**
क) उन सदस्यों के लिए, जो एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिज़िट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपका यूज़र आईडी IN300***12****** होगा ।
ख) उन सदस्यों के लिए, जो सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं।	16 डिज़िट का बेनेफिशरी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका बेनेफिशरी आईडी 12************** है तो आपका यूज़र आईडी 12************** होगा ।
ग) वास्तविक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001 *** है और EVEN 101456 है तो यूज़र आईडी 101456001 *** होगा ।

5. आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है-

क) यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉग-इन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'इनिशल पासवर्ड' रिट्रीव करना होगा, जो आपको दिया गया था। अपना 'इनिशल पासवर्ड' रिट्रीव करने के बाद, आपको 'इनिशल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने की सूचना देगा ।

ग) अपना 'इनिशल पासवर्ड' रिट्रीव करना

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी में दर्ज है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'इनिशल पासवर्ड' आपको दिया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का इस्तेमाल करें । ई-मेल खोलें और उसके बाद अटैचमेंट खोलें, यानी एक .pdf फाइल । .pdf फाइल खोलें । pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 डिज़िट का क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 डिज़िट या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है । .pdf फ़ाइल में आपका 'यूज़र आईडी' और आपका 'इनिशल पासवर्ड' होता है ।

Alternatively, if you are registered for NSDL e-services i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) Retrieval of your 'initial password'

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, तो आपका 'इनिशल पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको सूचित किया जाता है।

6. यदि आप इनिशल पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो–

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "**Forgot User Details/Password**?" (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के अपने डीमैट खाते में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **Physical User Reset Password**?" (यदि आप वास्तविक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

ग) यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम में वोट देने के लिए ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड डालने के बाद, चेक बॉक्स पर "Terms and Conditions" पर सीशश पर सही का चिह्न लगाएँ।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 के विवरण नीचे दिए गए हैं –

एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉग–इन करने के बाद, आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे । e-Voting पर क्लिक करें। उसके बाद, active Voting Cycles पर क्लिक करें ।

2. active Voting Cycles पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिसका वोंटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।

3. कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।

4. वोटिंग का पेज खुलते ही आप ई–मतदान कर सकते हैं ।

5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें यानी सहमत या असहमत, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और सबमिट पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर क्लिक करें।

(ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "**Forgot User Details/Password**?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN,your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

Casting your vote electronically on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. After clicking on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

6. Confirm करने के बाद, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा ।
7. आप कंफर्मेशन पेज के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. संकल्प पर अपने वोट करने के बाद, आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश</u>

1. संस्थागत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ मंडल के संबंधित संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति स्क्रूटिनाइज़र को (pdf/jpg फार्मेट) gthirupalgmail.com को तथा उसकी प्रति evotingnsdl.co.in को ई-मेल द्वारा भेजनी है ।
2. आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करने और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक ध्यान देने का सख्त सुझाव दिया जाता है। ई-वोटिंग वेबसाइट पर सही पासवर्ड डालने में पांच असफल प्रयासों पर लॉगिन असमर्थ हो जएगा । ऐसी स्थिति में, आपको पासवार्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प लेना होगा ।
3. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या टोल फ्री नं.- 1800-222-990 पर कॉल करें या evotingnsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेजे ।
4. आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है ।
5. सुदूर ई-मतदान की अवधि 11 सितंबर, 2019 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और 15 सितंबर, 2019 (अपराह्न 5 बजे) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 09 सितंबर 2019 की निर्दिष्ट तारीख को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं । उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा सुदूर ई-मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा । सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
6. सदस्यों का मताधिकार 09 सितंबर, 2019 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी के उनके हिस्से के अनुपात में होगा । व्यक्ति जिनका नाम निर्दिष्ट तारीख यानी 09 सितंबर, 2019 को सदस्यों की पंजी में दर्ज है या डिपोज़ीटर द्वारा रखे गए हितलाभी स्वामी की पंजी में दर्ज है, वे मतपत्रों द्वारा बैठक में मतदान करने के साथ-साथ ई-वोटिंग करने के हकदार होंगे। व्यक्ति जो इस सूचना को भेजने के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के शेयरधारक बनते हैं और निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारित करते हैं, वे अपना फोलियो नं. / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सं. का

6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

<u>General Guidelines for Shareholders</u>

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
5. The remote e-voting period commences on 11 September 2019 (9:00 A.M.) and ends on 15 September 2019 (5:00 P.M.). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cutoff date of 09 September 2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cutoff date of 09 September 2019. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. 09 September 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot papers. A person, who acquires

उल्लेख करते हुए evotingnsdl.co.in या irg@integratedindia.in में या श्री प्रतीक भट्ट को टॉल फ्री नंबर 1800222990 पर संपर्क कर अनुरोध भेजते हुए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद सुदूर ई-वोटिंग कर सकते हैं। बहरहाल, यदि ऐसे शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

7. कंपनी ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है ।

8. वार्षिक सामान्य बैठक में, संकल्प जिन पर मतदान किया जाना है, के बारे में चर्चा की समाप्ति पर, अध्यक्ष, स्क्रूटिनाइज़र की सहायता से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो उपस्थित हैं लेकिन जिन्होंने सुदूर ई-मतदान सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान का आदेश देंगे ।

9. स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, वार्षिक सामान्य बैठक में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत कम से कम दो गवाह, जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में सुदूर ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे । स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के भीतर, पक्ष या विपक्ष या अवैध यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की सं. की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे ।

10. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी के वेबसाइट www.bel-india.in पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण ।

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27 नवंबर 2018 द्वारा श्री विनय कुमार कत्याल को उनकी अधिवार्षिता या अगले आदेश की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री विनय कुमार कत्याल को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर

shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or irg@integratedindia.in or contact Mr Pratik Bhatt of NSDL at toll free no. 1800222990 by mentioning his Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting the vote.

7. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

8. At the AGM, at the end of the discussion on the resolutions on which voting is to be held, the Chairman shall, with the assistance of the Scrutinizer, order voting through ballot paper for all those Members who are present but have not cast their votes electronically using the remote e-voting facility.

9. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, count the votes cast at the AGM and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report of the total number of votes cast in favor of or against or invalid if any, not later than 48 hours after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

10. The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide its letter dated 27 November 2018 appointed Mr Vinay Kumar Katyal as Director (Bangalore Complex) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Vinay Kumar Katyal as an Additional Director, to hold office upto the date of this

निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्री विनय कुमार कत्याल को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में अन्य सूचना प्राप्त की है।

श्री विनय कुमार कत्याल को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है ।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने पत्र दिनांक 11 जून 2019 द्वारा श्री शिवकुमारन के एम को उनकी अधिवार्षिता या अगले आदेश की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री शिवकुमारन के एम को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्री शिवकुमारन के एम को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्री शिवकुमारन के एम को छोड़कर कोई भी अन्य निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है ।

मद सं. 6 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा श्री सुनील कुमार कोहली को बीईएल के मंडल में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री सुनील कुमार कोहली को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत कंपनी ने कंपनी की अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्री सुनील कुमार कोहली को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है ।

Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Vinay Kumar Katyal as Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Vinay Kumar Katyal, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5:

The Government has vide its letter dated 11 June 2019 appointed Mr Shivakumaran K M as Director (Human Resources) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Shivakumaran K M as an Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Shivakumaran K M as Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Shivakumaran K M, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.6:

The Government has vide its letter dated 18 July 2019 appointed Mr Sunil Kumar Kohli as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Sunil Kumar Kohli as an Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Sunil Kumar Kohli as Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

श्री सुनील कुमार कोहली को छोड़कर कोई भी अन्य निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 6 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है ।

<u>मद सं. 7 के संबंध में</u> -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) नियम 2014 (नियम) के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मेसर्स जी.एन.वी. एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है ।

<u>मद सं. 8 के संबंध में</u> -

बीईएल कारोबारी विकास के लिए अवसरों की तलाश करते हुए और नए रक्षा और गैर-रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने के लिए लगातार विस्तारण करती आ रही है। बीईएल ने हाल ही में, शस्त्र प्रणाली, गोला-बारूद, मानव-रहित प्रणाली, एयरबोर्न रेडार, नेटवर्क व साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवाएं, गृहभूमि सुरक्षा एवं समार्ट सिटी कारोबार, ई- अभिशासन, सीबीआरएन सुरक्षा प्रणालियाँ, सौर सेल विनिर्माण, उपग्रह एकीकरण, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्नकी समाधान के क्षेत्र में सक्रियता से प्रवेश किया है।

नव-अभिचिह्नित / संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने और कारोबार/ प्रचालन संचालित करने के लिए, बीईएल के संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) में कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में संशोधन करने की आवश्यकता है। इससे बीईएल उपलब्ध होने पर बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होगी। इसलिए, प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की शर्त पर, इस बैठक की सूचना के विशष संकल्प सं. 08 में बताए गए अनुसार, कंपनी के बहिर्नियमों के खंड III के मुख्य उद्देश्य सं. 01 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Sunil Kumar Kohli, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.6 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

<u>In respect of item No.7:</u>

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The Rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru to conduct cost audit of the Company for the financial year 2019-20 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 7 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

<u>In respect of item No.8:</u>

BEL has been continuously expanding its businesses and operations by exploring opportunities and diversifying into allied as well as new defence and non-defence areas for business growth. In the recent past, BEL has been actively pursuing opportunities in Weapon Systems, Ammunitions, Unmanned Systems, Airborne Radars, Network & Cyber Security, Software products & Services, Homeland Security & Smart City business, e-governance, CBRN protection systems, Solar Cells manufacturing, Satellite integration, Space Electronics and Turnkey Solutions.

To facilitate entry and conduct business / operations in the newly identified / allied areas, there is a need to amend the Main Objects of the Company in the Memorandum of Association (MoA) of BEL. This will enable BEL to leverage on the market opportunities as and when it is available. Hence it is proposed to alter the main object no. 01 in Clause III of the Memorandum of Association of the Company, as per the terms setout in special resolution no.8 of the Notice of this meeting, subject to the approval of Administrative Ministry.

इन प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ कंपनी के संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों की प्रति बैठक की तारीख तक, सभी कार्य दिवसों में सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध है।

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 08 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इन विशेष संकल्पों की सिफारिश करता है ।

सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) में यथा अपेक्षित, पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री नटराज कृष्णप्पा (डीआईएन 07506012)
शैक्षिक योग्यता	बी.ई. (मेकेनिकल), आईसीडब्ल्यूए, पीएमपी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री नटराज कृष्णप्पा, ने मई 1, 2016 को निदेशक (अन्य यूनिटें) का कार्यभार संभाला । अपनी पदोन्नति से पूर्व वे बीईएल- बेंगलूरु में महाप्रबंधक (मिसाइल प्रणाली) के रूप में कार्यरत थे । उन्होंने अनेक विभागों में कार्य किया और विनिर्माण तथा खरीद संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहे । उन्होंने उत्पाद ग्रुप-। का नेतृत्व किया और संचार उपकरणों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें बीईक्यूआई में सिक्स सिग्मा प्रोग्राम के लिए नामित किया गया था और तदुपरांत उन्होंने स्टार्स रेडियो के क्रिप्टो कार्ड की रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के इष्टतमीकरण में परियोजना पूरी की । श्री नटराज कृष्णप्पा, जो पीएमआई, यूएसए से पीएमपी हैं, ने आकाश मिसाइल सिस्टम परियोजना को निष्पादित करते समय परियोजना प्रबंधन की अवधारणाओं का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया । देश में पहली बार एकीकृत आकाश मिसाइल सिस्टम विश्व स्तरीय सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है जिसे भारतीय वायु सेना और भारतीय थलसेना दोनों में शामिल किया गया । वे सीआईआई एक्ज़िम बैंक उत्कृष्टता पुरस्कार के मूल्यांकनकर्ता और आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 तथा एएस9100 के अग्रणी मूल्यांकनकर्ता भी हैं और तीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों के अलावा संगठन में अनेक लेखा परीक्षाएँ संचालित की है ।
निदेशकों में परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं

A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company together with the proposed alterations is available for inspection by the Members of the Company at its Registered Office during normal business hours on all working days upto the date of the Meeting.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.8 of the notice of this meeting.

The Board recommends the special resolution for the approval of the Members.

Additional information of Directors recommended for re-appointment/appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr Nataraj Krishnappa (DIN 07506012)
Qualification	BE (Mechanical), ICWA, PMP
Expertise in specific function area	Mr Nataraj Krishnappa took charge as Director (Other Units) on 01 May 2016. He was GM (Missile System) in BEL before his elevation. He has worked in various departments responsible for manufacturing and procurement functions. He headed Product Group-I and has made significant contributions to the manufacture of Communication equipment. He was nominated for the Six Sigma programme in BEQI and subsequently did a project in optimising the reflow soldering process of the Crypto Card of STARS V Radio. Mr Nataraj Krishnappa, who is a PMP from PMI, USA, has successfully used project management concepts while executing the Akash Missile System project. Akash Missile System integrated in the country for the first time is a world-class Surface to Air Missile System that has been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army. He is also a CII EXIM Bank Excellence Award Assessor and Lead Assessor in ISO 9000, ISO 14000 & AS9100 and has carried out several audits within the organization besides three international assessments.
Discloure of relationship between Directors inter-se	Nil
Directorship held in other listed Companies	Nil

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	1263 ईक्विटी शेयर
2018-19 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	वर्ष के दौरान आयोजित 7 बैठकों में से 6 बैठकों में उपस्थित रहें ।

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन008281078)
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री विनय कुमार कत्याल ने 27 नवंबर, 2018 को निदेशक (बेंगलूरु कॉम्पलेक्स) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे इस उच्च पद पर आने से पहले बीईएल में महाप्रबंधक (सैन्य संचार) थे । वे उछठ-ऋत्र के विकास के लिए परियोजना प्रबंधक थे, जो भारत में बना अपनी तरह का पहला फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टैंक रेडियो है । उन्होंने रेडियो सेट भारती, चडघ डीमॉड्यूलेटर, एनक्रिप्शन उत्पाद SMILE SEED और सेलफ़ोन जैमर के विकास में भी अपना योगदान दिया था । उन्होंने उत्पाद, विकास और अभियांत्रिकी, विपणन और गुणता के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं, बेंगलूरु में बीईएल के केंद्रीय उत्पाद अनु. व वि. केंद्र के रूप में इस नए संस्थान को स्थापित करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए दिसंबर 2014 में उत्पाद विकास और नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) के महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला । श्री विनय कुमार कत्याल बीईएल के 'अनु. व वि. के लिए महत्वपूर्ण योगदान' पुरस्कार और कई अन्य परियोजना से संबंधित पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं।
निदेशकों में परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	1263 ईक्विटी शेयर
2018-19 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 3 बैठकों में से 3 बैठकों में उपस्थित रहें ।

Memberships/ Chairmanship in other listed Companies	Nil
No. of Shares held	1263 Equity Shares
Attendence in Board Meetings held during 2018-19	Attended 6 meetings out of 7 held during the year.

Appointment:

Name and DIN	Mr Vinay Kumar Katyal (DIN 008281078)
Qualification	B.Tech (Electronics & Communication)
Expertise in specific function area	Mr Vinay Kumar Katyal took charge as Director (Bangalore Complex) with effect from 27 November 2018. He was GM (Military Communication) in BEL before his elevation. He worked as Project Manager for the development of CNR-AFV, the first-of-its-kind Frequency Hopping Tank Radio made in India. He also facilitated the development of the radio set Bharati, MSK Demodulator, encryption products SMILE & SEED and Cell Phone Jammers. He worked in the Company in various capacities in the areas of Production, Development & Engineering, Marketing and Quality, took over as General Manager of the Product Development & Innovation Center (PD&IC) in December 2014, with the responsibility of establishing this new institution envisaged to serve as a Central Product R&D Centre of BEL in Bengaluru. Mr Vinay Kumar Katyal is a recipient of BEL's 'Key Contribution to R&D' Award and many other project-related R&D awards.
Discloure of relationship between Directors inter-se	Nil
Directorship held in other listed Companies	Nil
Memberships/ Chairmanship in other listed Companies	Nil
No. of Shares held	1263 Equity Shares
Attendence in Board Meetings held during 2018-19	Attended 3 meetings out of 3 held during his tenure.

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री शिवकुमारन के.एम., (डीआईएन-08473589)
शैक्षिक योग्यता	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री शिवकुमारन के.एम. ने दिनांक 11 जून, 2019 को निदेशक (मानव संसाधन) का कार्यग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल के बेंगलूरु कॉम्पलेक्स में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) थे। वर्ष 1989 में उन्होंने बीईएल के कार्पोरेट कार्यालय में सहायक कार्मिक प्रबंधक के रूप में कार्यग्रहण किया । बीईएल में अपने 30 वर्षों के कार्यकाल के दौरान श्री शिवकुमारन ने बीईएल में एच.आर. में आधारभूत परिवर्तन लाने में योगदान दिया और एच.आर. को कंपनी के रणनीतिक कारोबारी साझेदार में रूपांतरित किया। वे संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने और कंपनी की दृष्टि और विकास को आगे ले जाने के लिए एच.आर. संबंधी विभिन्न मध्यवर्तनों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी रहे। एच.आर. संबंधी कार्यों में सैप-ई.आर.पी. प्रणाली कार्यान्वित करने में उनका मुख्य योगदान रहा। वे कंपनी भर में बीईएल की विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे।
निदेशकों में परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	1263 ईक्विटी शेयर
2018-19 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	लागू नहीं

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री सुनील कुमार कोहली (डीआईएन-05321549)
शैक्षिक योग्यता	स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री सुनील कुमार कोहली प्रबंधन में स्नातकोत्तर (1992-93 में एमडीआई गुड़गांव से पीजीडीएम) और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीति (2002 में 42वें एनडीसी) हैं और उन्हें वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, आंतरिक लेखा परीक्षा, मानव संसाधन प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक समय का पेशेवर अनुभव है। उन्हें रक्षा, गृहभूमि सुरक्षा और दूरसंचार एवं जल संसाधन के क्षेत्रों का भी पेशेवर अनुभव है।

Appointment:

Name and DIN	Mr Shivakumaran K M (DIN: 08473589)
Qualification	Master of Social Work
Expertise in specific function area	Mr Shivakumaran K M took charge as Director (Human Resources) with effect from 11 June 2019. He was serving as GM (HR) in BEL- Bangalore Complex before his elevation. He joined BEL in the year 1989 as Assistant Personnel Manager. During his 30-year-old stint at BEL, Mr Shivakumaran has contributed to bringing about a paradigm shift in HR at BEL, transforming it into a strategic business partner of the Company. He has been responsible for the formulation and implementation of various HR interventions directed towards improving the organisational effectiveness and advancing the Company's vision and growth. Implementation of the SAP ERP system for HR functions has been one of his key contributions. He also has been actively involved in the implementation of various CSR projects of BEL across the Company.
Discloure of relationship between Directors inter-se	Nil
Directorship held in other listed Companies	Nil
Memberships/ Chairmanship in other listed Companies	Nil
No. of Shares held	1263 Equity Shares
Attendence in Board Meetings held during 2018-19	Not Applicable

Appointment:

Name and DIN	Mr Sunil Kumar Kohli (DIN: 05321549)
Qualification	Post Graduate
Expertise in specific function area	Mr Sunil Kumar Kohli is a Post Graduate in Management (PGDM from MDI Gurgaon in 1992-93) and National Security and Strategy (42nd NDC in 2002) and has more than three decades of professional experience in Financial Management, Accounting, Internal Auditing, Human Resources Management. Professional experience in Defence, Homeland Security and Telecom and Water Resources Sectors.

	उन्होंने क्षेत्रीय थलसेना नियंत्रकों (पीसीडीए डबल्यूसी और एनसी), रक्षा पेंशन वितरण, आयुध निर्माणियों में विभिन्न पदों पर रक्षा लेखा विभागों (डीएडी) में कार्य किया है। मुख्यालय में उन्होंने संयुक्त सीजीडीए के रूप में लेखा और बजट मामलों, भारतीय वायु मुख्यालय के आईएफए के रूप में अपर सीजीडीए के रूप में कार्य किया है। दिनांक 30 सितंबर, 2016 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 को सेवानिवृत्ति तक वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएँ (एफएडीएस) का पदग्रहण करने से पहले जून 2016 से सितंबर 2016 तक वे महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए) रहे।
निदेशकों में परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
2018-19 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	लागू नहीं

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,

बेंगलूरु
7 अगस्त 2019

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

	He Worked within Defence Accounts Department (DAD) in various capacities in Regional Army Controllers (PCDA WC and NC), Defence Pension Disbursement, Ordnance factories, In HQ DAD on accounts and budget matters as Joint CGDA and on Works, Pay and Pension as ADDL. CGDA and as IFA Air HQs. He worked as Controller General Defence Accounts (CGDA) from June 2016 to September 2016 before assuming the appointment of the Financial Advisor Defence Services (FADS) 0n 30th September 2016 till retirement on 31 August 2018.
Discloure of relationship between Directors inter-se	Nil
Directorship held in other listed Companies	Nil
Memberships/ Chairmanship in other listed Companies	Nil
No. of Shares held	Nil
Attendence in Board Meetings held during 2018-19	Not Applicable

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
7 August 2019

S Sreenivas
Company Secretary

एजीएम स्थल के लिए बीएमटीसी बस

केम्पेगौड़ा बस स्टॉप से -

284 सीरीज़, 286 सीरीज़, 287 सीरीज़, 288 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

शिवाजीनगर बस डिपो से -

63 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From Kempegowda Bus Stop :

284 series, 286 series, 287 series, 288 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

From Shivajinagar Bus Depot

63 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

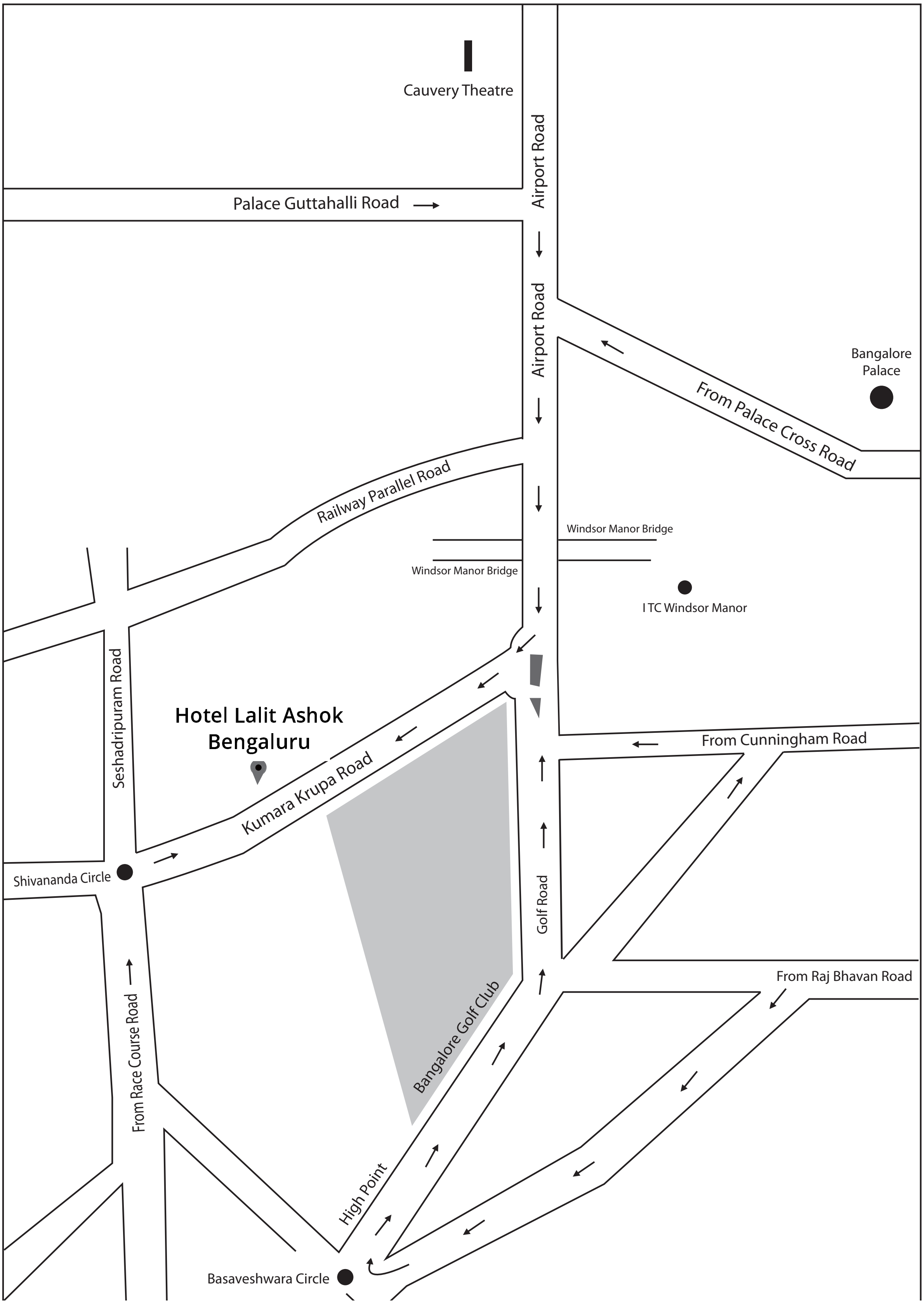
Cauvery Theatre
Airport Road
Palace Guttahalli Road
Airport Road
Bangalore Palace
From Palace Cross Road
Railway Parallel Road
Windsor Manor Bridge
Windsor Manor Bridge
I TC Windsor Manor
Seshadripuram Road
Hotel Lalit Ashok Bengaluru
Kumara Krupa Road
From Cunningham Road
Shivananda Circle
Golf Road
From Raj Bhavan Road
From Race Course Road
Bangalore Golf Club
High Point
Basaveshwara Circle